**विवाह की अकृतता की एक डिक्री के लिए याचिका**

जिला न्यायालय ...............................

वाद सं................... सन .........................

**अबक**  ...............याची

बनाम

**कखग**  ..............प्रत्यर्थी

**हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अधीन विवाह की अकृतता की एक डिक्री के लिए याचिका -**

याची निम्नलिखित रूप में प्रार्थना करता है

1. एक विवाह ........................................... में तारीख .................................. को हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् पक्षकारों के बीच अनुष्ठापित किया गया। सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किये गये हिन्दू विवाह रजिस्टर/शपथपत्र से एक प्रमाणित प्रोद्धरण इसके साथ दाखिल किया जाता है।
2. विवाह के पूर्व तथा याचिका को दाखिल करने के समय पर विवाह के पक्षकारों का स्तर तथा निवास स्थान निम्नलिखित रूप में थे -

|  |
| --- |
| पति |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |
| पत्नी |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |

[चाहे एक पक्षकार धर्म से हिन्दू हो या न हो उसका या उसकी हैसियत का एक भाग है।]

1. इस पैरा में विशिष्टियाँ और पति एवम् पत्नी के रूप में सहवास का स्थान, विवाह से संताने, यदि कोई हो दिये जाय। जन्म की तारीख एवम् स्थान तथा प्रत्येक संतान का नाम एवम् लिंग तथा यह तथ्य की क्या वह जीवित या मृत है, का भी विवरण दिया जाना चाहिए।
2. प्रत्यर्थी का विवाह के समय पर जीवित रहने वाला एक पति या पत्नी है। [संपूर्ण विशिष्टयों का विवरण दें।]

या

पक्षकारगण प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के अन्दर आते हैं और उनमें से प्रत्येक शासित करने वाली कोई रूढि या प्रथा है जो दोनों के बीच विवाह को अनुज्ञा प्रदान करती है। [पक्षकारों के बीच यथावत नातेदारी दी जानी चाहिए]

या

पक्षकारगण प्रत्येक दूसरे के सपिण्ड हैं और उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली कोई रूदि प्रथा नहीं है जो दो के बीच एक विवाह को अनुज्ञा प्रदान करती है। [ पक्षकारों के बीच यथावत नातेदारी विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।]

(उपर्युक्त आधारों में से एक या अधिक का अभिवचन किया जा सकेगा और जो भाग नहीं लागू होते हैं उन्हें बाहर गिना जाना चाहिए। जिन तथ्यों पर अनुतोष को आधारित बनाया जाता है उनका विवरण वैसे पृथक तौर पर दिया जाना चाहिए जैसे मामले की प्रकृति अनुज्ञा प्रदान करती हो। वैवाहिक आरोपों को उनके अभिकथित कारित किये जाने के समयों एवम् स्थानो के साथ पृथक पैरा में उपवर्णित किया जाना चाहिए।

1. याचिका दाखिल करने में कोई भी अनावश्यक या अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है।
2. इसका कोई अन्य विधिक आधार नहीं है कि अनुतोष क्यों नहीं मंजूर किया जाना चाहिए।
3. किसी पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से विवाह के बारे में कोई भी पूर्व कार्यवाही नहीं हुई है।

या

**पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से विवाह के बारे में निम्नलिखित पूर्ववर्ती कार्यवाहियाँ हुई है -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | पक्षकारों के नाम  | अधिनियम की धारा के साथ कार्यवाही की प्रकृति  | मामले की सं. एवं तारीख तथा वर्ष  | न्यायालय का नाम एवं अवस्थित  | परिणाम  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. विवाह का अनुष्ठापन किया गया। पक्षकारगण इस न्यायालय की आरम्भिक सिविल अधिकारिता के अन्दर ................... में रहते हैं। अंतिम बार साथ-साथ रहते थे।
2. अतएव, याची प्रार्थना करता है कि पक्षकारों के बीच अनुष्ठापित किये गये विवाह के अकृत एवम् शून्य होने के कारण एक अकृतता की डिक्री द्वारा न्यायालय इस प्रकार घोषित किया जाय।

याची

सत्यापन

ऊपर नामित किया गया याची सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर विवरण कथन करता है कि याचिका के पैरा ...................... लगायत ................... याची की सर्वोत्तम सूचना एवम् विश्वास में सत्य है।

...................... में इस तारीख .................... को सत्यापित किया गया।

स्थान: याची